

डिकरी व मुकदमें इत्दादाई
(आर्डर 20 रूल 8-7, जास्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

गुठ रानो महेन्द्रसिंह बनाम रूपसिंह वगैरा

दावा बाबत 53,100 रा10का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 79/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु- व हाजरी वादी
मिनजागिब मुद्दत व मिनजागिब मुद्दालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है
कि

अतः आदेश है कि विवादित हाल आराजी खाता सं. 290 के आराजी खसरा न. 1743 रकवा 0.01, 1744 रकवा 0.37, 1747 रकवा 0.19, 1753 रकवा 0.17, 1819 रकवा 0.38, 1822 रकवा 0.08, 1823 रकवा 0.06, 1825 रकवा 0.41, 1827 रकवा 0.16, कित्ता 9 रकवा 1.83 है व खाता सं. 291 के आराजी खसरा न. 2899 रकवा 0.49, 2903 रकवा 0.32 कित्ता 2 रकवा कुल 0.81 व खाता सं. 292 के खसरा न. 3202 रकवा 0.91 व खसरा न. 1757 रकवा 0.08, 1843 रकवा 0.03, 410 रकवा 0.33, 411 रकवा 0.34 कित्ता 4 रकवा 0.78 है. वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रैजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रैजात प्रस्ताव (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रैजात प्रस्ताव प्रदर्श--"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरगीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

शेख - मुबलिग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक - - - - - की अदा करें ।
दसबत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.04.24 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत 16/4/24

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बादत इजराय हुकम नामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		



उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
2. बलवन्तसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
2. बलवीरसिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
3. मुकेश पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
4. डोरीलाल पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
5. मन्ता पुत्री थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
6. असरफी वेवा थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
7. गुलजारी पुत्र सरदारसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
8. राजेन्द्र पुत्र अतरसिंह जाति जाट साकिन मुडजोरी तह. लक्ष्मणगढ(अलवर) निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
9. राजवीर पुत्र अतरसिंह जाति जाट साकिन मुडजोरी तह. लक्ष्मणगढ(अलवर) निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
10. मुकेश पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी नदबई(भरतपुर)
11. सुरेश पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी नदबई(भरतपुर)
12. समन्दरसिंह पुत्र महीलाल जाति जाट निवासी बरौलीछार तह. नदबई(भरतपुर)
13. उपपंजीयक तहसील नदबई
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
15. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बरौलीछार

प्रतिवादीगण


 उपखण्ड अधिकारी
 नदबई (भरतपुर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.
79 / 2017

रजू दिनांक
11.07.2017

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
...16.07.24

उनवान

1. महेन्द्रसिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
2. बलवन्तसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.
नदबई(भरतपुर)

वादीगण

बनाम

1. रूपसिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
2. बलवीरसिंह पुत्र सूखा जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
3. मुकेश पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
4. डोरीलाल पुत्र थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
5. मन्ता पुत्री थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
6. असरफी वेवा थानसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
7. गुलजारी पुत्र सरदारसिंह जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
8. राजेन्द्र पुत्र अतरसिंह जाति जाट साकिन मुडजोरी तह. लक्ष्मणगढ(अलवर)
निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
9. राजवीर पुत्र अतरसिंह जाति जाट साकिन मुडजोरी तह. लक्ष्मणगढ(अलवर)
निवासी बरौलीछार तह.नदबई(भरतपुर)
10. मुकेश पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी नदबई(भरतपुर)
11. सुरेश पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी नदबई(भरतपुर)
12. समन्दरसिंह पुत्र महीलाल जाति जाट निवासी बरौलीछार तह.
नदबई(भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

13. उपपंजीयक तहसील नदबई
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
15. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा बरौलीछार

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांकको श्री गंगाधर मीना उपखण्ड अधिकारी नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खाता सं. 290 के आराजी खसरा न. 1743 रकवा 0.01, 1744 रकवा 0.37, 1747 रकवा 0.19, 1753 रकवा 0.17, 1819 रकवा 0.38, 1822 रकवा 0.08, 1823 रकवा 0.06, 1825 रकवा 0.41, 1827 रकवा 0.16, कित्ता 9 रकवा 1.83 है व खाता सं. 291 के आराजी खसरा न. 2899 रकवा 0.49, 2903 रकवा 0.32 कित्ता 2 रकवा कुल 0.81 व खाता सं. 292 के खसरा न. 3202 रकवा 0.91 व खसरा न. 1757 रकवा 0.08, 1843 रकवा 0.03, 410 रकवा 0.33, 411 रकवा 0.34 कित्ता 4 रकवा 0.78 है. वाके ग्राम बरौलीछार तहसील नदबई जिला भरतपुर वादी व प्रतिवादी को कुर्रेजात प्रस्ताव के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्रेजात प्रस्ताव (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श-“अ” इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक ...16.04.24...को मेरे द्वारा लिखाई जाकर वाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16/4/24
 (गंगाधर मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी नदबई